न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 149/2018

उनवान

1. छीतरमल पुत्र छगना (फौत)
1/1. गांगा पत्नी छीतर
1/2. नारायण
1/3. श्याणी
1/4. मांगीलाल
1/5. रामचन्द्र
1/6. सन्नू पि0 छीतर
2. मीठुलाल पुत्र छगना जाति रेगर नि0 ग्राम धोलादांता देराठू नसीराबाद
—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद ——
प्रतिवादी :– जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 6.6.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू में वादीगण की काश्तकारी/खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
536	2–1–0	502	2–1–0	912	0.34
531	0–6–10	503	0–6–10	911	0.05

उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 536 के वंर्किग खसरा नमबर 502 की किस्म चाही थी। तथा चौसाला खसरा नम्बर 531 के वंर्किग खसरा नम्बर 503 की किस्म मोरी है। हाल खसरा नम्बर 912 व 911 की किसम गलत लिख दी गयी है चाही के स्थान पर मोरी व मोरी के स्थान पर चाही अंकित कर दी है। अतः हाल राजस्व अभिलेख में किसम को पुनः पूर्व की भाति सही किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 531 वंकिग खसरा नम्बर 503 हाल खसरा नम्बर 911 सिवायचक खाते में मोरी दर्ज है। उक्त आराजी में वादी के पूर्वजों का नाम कभी भी अंकन स्वीकार नही हुआ। चौसाला खसरा नम्बबर 536 वंर्किग खसरा नम्बर 502 की किस्म चाही तालावी है। हाल खसरा नम्बर 911 पूर्व से ही मोरी दज है। किस्म में कोई परिवर्तन नही हुआ है। [illegible] किया जाना उचित नही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी [illegible]

1. आया वादग्रस्त आराजी [illegible] का अधिकारी है ?
—— वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:28:28 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

2. आया वादग्रस्त आराजी पर वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व छीतरमल, मिठुलाल व सुखा का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार हाल खसरा नम्बर 912 की किस्म मोरी अंकित है तथा खसरा नम्बर 911 की किस्म मोरी है। खसरा नम्बर 912 रकबा 0.34 वादीगण के अतिरिकत अन्य व्यक्तियो के भी नाम अंकित है। उन खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गय है। जबकि खसरा नम्बर 912 की आराजी पर उनके हित भी जुडे होने के कारण वे आवश्यक पक्षकार है। खसरा नम्बर 911 सिवायचक है जिस पर वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। भूमि की किस्म बंदोबसत विभाग द्वारा मोका अनुसार अंकित की जाती है। वादी ने ऐसे कोई ठोस प्रमाण नही पेश किया जिससे सिद्व होता हो कि मोके पर मोरी नही है। राज0 पेरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। ऐसी सिथति में आराजी मुतनाजा की किस्म परिवर्तन करना न्यायोचित नही है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम धोलादांता देराठू के हाल खसरा नम्बर 911 व 912 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:28:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छीतरमल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88. 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 149/2018
पेश करने की दिनांक – 22.2.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम धोलादांता देराठू के हाल खसरा नम्बर 911 व 912 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:28:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner